कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. / Fax 07786-242303 E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./........877 कोंडागांव, दिनांक ...30/1/2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला कोंडागांव

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय हेतु प्रभावित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत डी.जी.पी.एस.सर्वे कार्य हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर का अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक/प्र.मु.व.सं./115-30/02, दिनांक 11/11/2014.
2. आपका पत्र क्रमांक/361/जवाहर नवोदय विद्यालय भवन/2018, दिनांक 30/01/2018.

विषयांतर्गत लेख है, कि जिला कोंडागांव अंतर्गत कनेरा रोड एवं बाईपास के बाजु में स्थित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-794 में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् डी.जी.पी.सर्वे कार्य की अनुमति चाहा गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का संयुक्त जांच करने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी, दहींकोंगा से संपर्क स्थापित कर संयुक्त जांच की कार्यवाही पूर्ण करायें, एवं जांच करते हुये फोटो भी लेवें, ताकि प्रस्ताव जमा करते समय उक्त फोटो की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित क्षेत्र के संयुक्त जांच उपरांत निम्न शर्तो के अधीन डी.जी.पी.सर्वे का कार्य स्थानीय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में करवाना सुनिश्चित करें।

1. डी.जी.पी. एस. सर्वे के दौरान वन संपदा/वन्य प्राणी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जाये।
2. डी.जी.एस.सर्वे कार्य सूर्यास्त के बाद न किया जायें।
3. डी.जी.एस.सर्वे के दौरान प्रत्येक मोड़ पर अस्थाई खूटा लगाई जाये, जिसे सफेद पेंट से पोताई कर हरा पेंट से अक्षांश एवं देशांन्तर को अंकित किया जायें।
4. प्रत्येक पिल्लर का फोटो इस प्रकार लिया जायें, कि फोटोग्राफ्स में पिल्लर क्रमांक एवं अक्षांश/देशान्तर स्पष्ट परिलक्षित हो।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

पृ.क्रमांक/मा.चि./.....878 कोंडागांव, दिनांक 30/1/2018

प्रतिलिपि :-

1. **मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर** की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है। कृपया केन्द्रीय विद्यालय हेतु प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-794 में डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य के लिये अनुमोदन करने का अनुरोध है।
2. **कलेक्टर, जिला कोंडागांव** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. **उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व कोंडागांव/परिक्षेत्र अधिकारी, दहींकोंगा** की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप प्रस्तावित परियोजना के डी.जी.पी.एस. सर्वे का कार्य अपने निर्देशन में कराना सुनिश्चि करें, एवं संयुक्त जांच प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्न -उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव